भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3309

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

न्यायिक प्रणाली में हिन्दी /क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

3309. डा॰ सत्यनारायण जटिया :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्र-गणतंत्र देश में मातृभाषा, न्याय की भाषा तथा राजभाषा हिन्दी को विधि और न्याय की भाषा बनाने के लिए अब तक किए गए प्रयास तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समयबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) भारत के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा अथवा राजभाषा हिन्दी के विधि एंव न्याय निर्णयन की प्रक्रिया में उपयोग की अद्यतन स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

**(क) और (ख) :** वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में किया जा रहा है । संविधान के अनुच्छेद 348 (2) और राजभाषा खंड अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार हिंदी का प्रयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्राधिकृत किया गया है ।

 तमिल, हिंदी और गुजराती भाषाओं के प्रयोग से संबंधित प्रस्तावों को क्रमशः मद्रास, छत्तीसगढ़ और गुजरात उच्च न्यायालयों में मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित किए गए थे जिसमें अपेक्षा की गई थी कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग किए जाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाए। यह शर्त उच्चतम न्यायालय के लिए भी लागू होती है ।

 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने 18.01.2018 को यह व्यक्त किया है कि पूर्ण न्यायालय ने व्यापक विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए सहमति नहीं दी थी जिसे तारीख 07.05.1997 को अंगीकार किया गया था और तारीख 15.12.1999 को पुनः दोहराया गया था तथा तारीख 11.10.2012 को जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने से पूर्व परामर्श किया जाएगा । उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के विनिश्चय की दृष्टि में मामले में कोई और कार्रवाई नहीं की गई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*